न्यायालय अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ए.सी.जे.एम.

कोर्ट संख्या–03, मुजफ्फरनगर।

राज्य बनाम अजब सिंह उर्फ बबलू आदि।

दिनांक–28.07.2026

अभियुक्त/प्रार्थी अजब सिंह उर्फ बबलू पुत्र रमेश की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–98 सन् 2026 अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 109(1), 126(2), 117(2), 115(2), 352 एवं 351(2)भारतीय न्याय संहिता, थाना–मीरापुर, मुजफ्फरनगर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त दिनांक–27.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध अजमानतीय, गंभीर प्रकृति का तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने का कथन करते हुए जमानत का विरोध किया गया है।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध अजमानतीय तथा गंभीर प्रकृति का है तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अस्तु मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी सरफराज उर्फ शेरू पुत्र इसरार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–98 सन् 2026, अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 109(1), 126(2), 117(2), 115(2), 352 एवं 351(2)भारतीय न्याय संहिता, थाना–मीरापुर, मुजफ्फरनगर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–28.07.2026

(सौम्या मिश्रा–II)
अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/ए.सी.जे.एम.
कोर्ट संख्या–03, मुजफ्फरनगर।

Digitally signed by SOUMYA MISHRA
Date: 2026.07.28 16:37:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court